FORM No 123
(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, किशनगढ़, जिला अजमेर

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या– 1251/2015
सी.आई.एस. संख्या – 759/2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 28/2015 पुलिस थाना– मदनगंज
सरकार बनाम प्रकाश चंद जैन

Date	Orders with initials of P.O.	Brief note of Compliance of Order
08.01.2026	अभियोजन अधिकारी मय परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त अधिवक्ता उपस्थित, जबकि अभियुक्त स्वयं जारीशुदा प्रोडक्शन वारंट पर जरिये वी.सी. उपस्थित, जिसकी प्रोडक्शन वारंट की अवधि आगामी पेशी के लिए बढायी गयी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में गवाह पी.डब्ल्यू– 2 के बयानों के दौरान प्रार्थना पत्र इस आशय से न्यायालय के समक्ष अभियोजन को नकल दिलाते हुए प्रस्तुत किया गया था कि न्यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी की प्रार्थना धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कुल 22 गवाहों को बतौर गवाह बुलाया गया है, जिनमें से काफी व्यक्तियों ने पूर्व में विधायकपुरी थाना, जयपुर में परिवाद प्रस्तुत किया, जिन परिवादों को पूर्व में ही दर्ज समान प्रकृति और समान तथ्यों पर आधारित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 284/2022 पुलिस थाना विधायकपुरी, जिला– जयपुर में दर्ज कराकर उच्च स्तरीय अनुसंधान किया गया था तथा जिसके पश्चात अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त् अनुसंधान में कुछ व्यक्तियों का कंपनी संबंधी विवरण भी प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त 3,200/– एवं 3,500/– रूपये का मूल ब्रोशर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार, इन्श्योरेन्स कंपनी का प्रस्तावना पत्र, राजस्थान सरकार द्वारा जारी राजपत्र विशेषांक गजट नोटिफिकेशन दिनांक 05.10.2012 एवं टयूलीप ग्लोबल प्रा लि. कम्पनी का मेमोरेन्डम एवं अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किये जाकर अभियोजन ने निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष में जिन व्यक्तियों ने पूर्व में उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किये थे, उनसे जिरह के दौरान दस्तावेज दिखाकर स्पष्टीकरण कराना चाहेंगे।	

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, किशनगढ़ जिला अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, किशनगढ़, जिला अजमेर

अतः प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को न्यायहित में फेयर ट्रायल का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–84/2022 पुलिस थाना विधायकपुरी, जयपुर के अनुसंधान में गवाहान से कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में स्वयं परिवादी हरजीराम है, के बयान लेकर ही अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो अभी स्वीकार नहीं हुआ है। हस्तगत प्रकरण के गवाहान से किसी प्रकार के अनुसंधान के संबंध में कोई अंकन नहीं है। अतः इन गवाहों का उन प्रथम सूचना रिपोर्टो से कोई संबंध नहीं है। अतः दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त संबंधित सभी दस्तावेज द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आते है, जिसके संबंध में भी अभियुक्त ने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उक्त कारणों से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जिरह के दौरान उसे गवाहें से उनसे संबंधित दस्तावेजों से विरोधाभास साबित कराना है एवं ऐसी सूरत में यदि उसे इस स्तर पर दस्तावेज रखने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वह इन गवाहों की विश्वसनीयता को जिरह के दौरान खण्डित करने के अपने महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित रहेगा। साक्ष्य सफाई के दौरान यदि ऐसे दस्तावेज रख भी दिये जायेगे तो भी जिन गवाहों की विश्वसनीयता को वह खण्डित करना चाहता है, वह उस स्तर पर संभव नहीं हो सकेगा। उक्त के विरोध में अभियोजन का तर्क रहा है कि दस्तावेज सुसंगत नहीं है एवं द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नहीं ली गयी है। बहस रिबटल के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रमाणित प्रतियों को द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति के लिए पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की माननीय सर्वोच्च

FORM No 123
(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, किशनगढ़, जिला अजमेर

न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत *धनपत सिंह बनाम श्योराम (मृतक जरिये वारिसान), (2020) 16 एससीसी 209* के अनुसार कोई आवश्यकता नहीं है। एवं उसके पश्चात भी दस्तावेजात जो प्रस्तुत किये गये है वे प्रमाणित दस्तावेज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। बहस तर्कों पर मनन किया गया। ध्यान देने योग्य है कि हस्तगत प्रकरण में बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया था। परिवादी ने अनुसंधान को ही आधार मानते हुए न्यायालय से प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया था, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रस ज्ञान लिया गया तथा दौराने विचारण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर कुल 22 गवाहों को तलब करने के आदेश प्रदान किये गये थे। हस्तगत प्रार्थना पत्र में विधिक बिंदु यह है कि क्या अभियुक्त गवाहों की जिरह में ऐसे दस्तावेजों को रखकर प्रश्न कर सकता है जो दस्तावेज अनुसंधान पत्रावली का भाग नहीं रहे हो।

इस संबंध में सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। माननीय केरला उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.10.2025 *क्रिमिनल मिसलेनियस पीटीशन नंबर 7885/2025, एफ.आई.आर. संख्या–1505/2021, पुलिस थाना– एर्नाकुलम उत्तर, बउनवान अन्नु सी.आर बनाम केरला राज्य* में यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त जिरह के दौराने ऐसे दस्तावेज (जो कि उक्त प्रकरण में फोटोग्राफस एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका थे) विरोधाभास एवं गवाह की विश्वसनीयता को जांचने के उद्धेश्य से रखकर प्रश्न कर सकता है अर्थात पुलिस अनुसंधान के दौरान जो दस्तावेज पत्रावली पर संलग्न नहीं है, उन दस्तावेजों को भी सीमित स्तर के लिए जिरह हेतु अभियुक्त की स्वयं की ओर से रखा जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय के मत में गवाह की विश्वसनीयता एवं

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, किशनगढ़, जिला अजमेर

FORM No. 123
(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, किशनगढ़, जिला अजमेर

विरोधाभास को साबित कराने के उद्धेश्य से अभियुक्त इन दस्तावेजों को पत्रावली पर रख सकता है एवं न्यायिक दृष्टांत *धनपत सिंह बनाम श्योराम प्रकरण* के अनुसार द्वितीयक साक्ष्य अनुमति वास्ते पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित प्रति एवं असल है। अतः अभियोजन की उक्त आपत्ति सारहीन रहती है। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाते है, जिनका अभियुक्त पक्ष संबंधित गवाह की जिरह के दौरान विरोधाभास एवं गवाह की विश्वसनीयता को चुनौती देने के उद्धेश्य से उपयोग कर सकेगा।

आगामी पेशी पर प्रकरण में लंबित गवाह जयचंद आवश्यक रूप से शेष जिरह वास्ते उपस्थित रहे। जिसके पश्चात शेष गवाहों के परीक्षण वास्ते आगामी आदेश किये जावेगे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में दिनांक 13.01.206 को पेश हो।

(जितेंद्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01,
किशनगढ़, जिला अजमेर

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
किशनगढ़ जिला अजमेर

Scanned with OKEN Scanner